

राजस्थान सरकार

अभियोजन निदेशालय राजस्थान जयपुर

क्रमांक:स.3-6(1)स्था./मंत्रा/अभि./15/

जयपुर,दिनांक:

पदोन्नति आदेश

राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा नियम 1999 के नियम 32-33 के अन्तर्गत वर्ष 2013-14 में लिपिक ग्रेड प्रथम की विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा पर श्री भवानी शंकर पुत्र श्री जगदीश प्रसाद के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही, स.नि.अ. भरतपुर के आदेश क्रमांक 1733-39 दिनांक 14.07.2011 द्वारा 17 सी.सी.ए. के अंतर्गत विचाराधीन होने एवं प्रथम सूचना संख्या 314/10 अन्तर्गत धारा 410, 467ए, 420,471 भा.द.स. थाना सेवर सरकार बनाम भवानी शंकर वगैरहा प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण इनकी पदोन्नति का निर्णय सीलकवर लिफाफे में रखा गया था। सहायक निदेशक अभियोजन भरतपुर के आदेश क्रमांक 218-22 दिनांक 24-01-2013 के नियम 17 सीसीए के अंतर्गत कार्यवाही को समाप्त करने के आदेश प्रदान किये जाने एवं माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा एफ.आई.आर नं 314/2010 पुलिस थाना सेवर भरतपुर को आरोपित आरोप में साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त घोषित किये जाने के फलस्वरूप श्री भवानी शंकर पुत्र श्री जगदीश प्रसाद को वर्ष 2013-14 में वेतन श्रृंखला PB(1) 5200-20200 Grade Pay (10) 2800/- Pay Matrix L-8 में लिपिक ग्रेड प्रथम (वरिष्ठ सहायक) के पद पर पदोन्नति प्रदान की जाती है। इनकी लिपिक ग्रेड प्रथम के पद पर वरिष्ठता सुश्री बुद्धिवती पाटनी के ऊपर रहेगी।

पदोन्नति पर पदस्थापन आदेश पृथक से जारी किये जायेंगे।

(रवि शर्मा)

निदेशक अभियोजन
राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपि:—निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:—

01. निजी सचिव, निदेशक अभियोजन राजस्थान जयपुर।
02. अतिरिक्त निदेशक अभियोजन (न्याय/अभि), अभियोजन निदेशालय राजस्थान जयपुर।
03. संयुक्त निदेशक अभियोजन, भरतपुर।
04. उप निदेशक अभियोजन, भरतपुर।
05. संस्थापन शाखा मंत्रालयिक वरिष्ठ अभियोजन निदेशालय राजस्थान जयपुर।
06. संबंधित कार्मिक.....द्वारा:— कार्यालयध्यक्ष।
07. रक्षित पत्रावली।

निदेशक अभियोजन
राजस्थान जयपुर